भारतीय मानक ब्यूरो (सर्तकता विभाग)

हमारा संदर्भ: सतर्कता/10:13/2012-13

दिनांक: 04.01.2021

विषय: समूह 'क' अधिकारियों द्वारा वर्ष 2020 (01.01.2021 तक) वार्षिक अचल सम्पति की रिटर्न BIS HFMS के माध्यम से जमा करना ।

समूह 'क' के सभी अधिकारियों से यह अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18(1)(ii) के अनुसार वर्ष 2020 (01.01.2021 तक की) वार्षिक अचल सम्पति की रिटर्न दिनांक 31 जनवरी 2021 तक जमा करें।

कृपया ध्यान दें इस वर्ष की AIPR "Property Declaration " शीर्षक के अंतर्गत BIS HFMS मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाना है।

क्योंकि BIS HFMS मॉड्यूल पहली बार चालू किया गया है, अत: सभी समूह 'ए' अधिकारी को ऑनलाइन "Property Declaration " शीर्षक के अंतर्गत BIS HFMS मॉड्यूल के माध्यम से अपनी संपतियों के सभी विवरण प्रस्तुत करने / भरने की आवश्यकता है।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है की उक्त विषय पर DoPT के दिशानिर्देशों के अनुपालन में BIS के ऐसे सभी अधिकारी जो साल 2020 (01.01.2021 तक) की अपनी AIPR 31.01.2021 तक भरकर प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हे, विदेशी प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति पर बाहरी पद के लिए आवेदन आदि के संबंध में, पूरे साल के लिए, चाहे वह 31 जनवरी 2021 के बाद प्राप्त हो, विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी।

(चित्रा गुप्ता)^५ ॥ वैज्ञानिक-एफ (सतर्कता)

भामाब्यूरो मुख्यालय के सभी विभागों/अनुभागों, प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा, केद्रीय प्रयोगशाला/सभी क्षेत्रीय/शाखा/निरीक्षण कार्यालयों को परिचालित

प्रतिलिपि : प्रमुख (आईटीएस) - इन्टरनेट पर होस्ट करने हेतु।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS (Vigilance Department)

Our Ref: Vig/10:13/2012-13

04.01.2021

Subject: Furnishing Annual Immovable Property Return (AIPR) for the year 2020 (as on 01 January 2021) by Group A officers through Online BIS HFMS Module under the head "Property Declaration"

All Group 'A' officers are requested to submit their Annual Immovable Property Return (AIPR) for the year 2020 (as on 01 January 2021) as per Rule 18(1)(ii) of CCS (Conduct) Rules, 1964, latest by 31st January 2021.

Please note, this year the AIPR is to be submitted online through BIS HFMS Module under the head "Property Declaration".

As the BIS HFMS Module has been made operational for the first time, all Group 'A' officers, who are holding any property, need to submit / fill up all the details of the properties held by them, as on date, in the online form available under the head "Property Declaration" through online HFMS module.

It is brought to the notice of all concerned that in compliance with DoPT guidelines on the subject, vigilance clearance in respect of foreign deputation, application for outside post on deputation for the entire year, even if the same is received after 31 January 2021, etc., shall not be granted to all such officials of BIS who do not submit their AIPR (as on 01st January 2021) latest by 31st January 2021.

(Chitra Gupta) Scientist-F(Vigilance)

Circulated to all Departments/Sections at HQrs, Training Institute-Noida, CL and Regional/Branch/Inspection Offices of BIS

Copy to: **Head(ITS)** – with the request to host the circular on BIS Intranet